International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 01-02-2026, Accepted: 02-03-2026, Published: 17-03-2026
Volume 12, Issue 1, 2026, Page No. 501-504

शिक्षा की भूमिका : सशक्त लोकतंत्र के निर्माण एवं संरक्षण में शिक्षा का योगदान

डॉ. सतीश चन्द
सहायक आचार्य, बाबा फरीद कॉलेज ऑफ़ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फरीदपुर, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक संस्थाओं अथवा निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जागरूक, उत्तरदायी तथा मूल्यनिष्ठ नागरिकों के निर्माण पर आधारित होती है। इस दृष्टि से शिक्षा लोकतांत्रिक समाज के निर्माण एवं संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रस्तुत लेख में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण भारतीय लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सहिष्णुता, आलोचनात्मक चिंतन, नैतिक नेतृत्व तथा सक्रिय नागरिक सहभागिता का विकास करती है। लेख में लोकतांत्रिक नागरिकता, भारतीय संविधान के आदर्शों तथा लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास में विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका का विवेचन किया गया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों एवं प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया गया है कि यह नीति अनुभवात्मक अधिगम, बहुविषयक शिक्षा, समावेशिता, डिजिटल साक्षरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मूल्य–आधारित शिक्षा के माध्यम से युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। लेख में 2024 के लोकसभा चुनावों, नीति आयोग की अनुशंसाओं तथा समकालीन डिजिटल युग की चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला गया है। निष्कर्षतः यह प्रतिपादित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं मूल्यपरक शिक्षा ही सशक्त, सहभागी, उत्तरदायी तथा सतत लोकतंत्र की आधारशिला है और विकसित भारत के निर्माण में इसकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मुलशब्द: शिक्षा, लोकतंत्र, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, लोकतांत्रिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य, नागरिकता शिक्षा, समावेशी शिक्षा, आलोचनात्मक चिंतन, डिजिटल साक्षरता, युवा सशक्तिकरण.

लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन–दर्शन है जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सेना, अर्थव्यवस्था या प्राकृतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके जागरूक, शिक्षित और उत्तरदायी नागरिकों में निहित होती है। इसलिए शिक्षा को लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। यदि लोकतंत्र को जीवंत, समावेशी तथा उत्तरदायी बनाए रखना है तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए जो संविधान में निहित आदर्शों को समझें, सामाजिक विविधताओं का सम्मान करें, तर्कपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हों तथा राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखें।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ विविध भाषाएँ, संस्कृतियाँ, धर्म, जातियाँ और परम्पराएँ विद्यमान हैं। इतनी विविधता के मध्य लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण तभी संभव है जब शिक्षा नागरिकों में संवैधानिक चेतना, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा लोकतांत्रिक व्यवहार का विकास करे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श तभी व्यवहारिक रूप ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षा प्रणाली इन मूल्यों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाए।

21वीं सदी में लोकतंत्र के समक्ष अनेक नई चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं। डिजिटल माध्यमों पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाएँ, सामाजिक ध्रुवीकरण, घृणा–भाषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के दुरुपयोग, पर्यावरणीय संकट, वैश्वीकरण तथा बढ़ती आर्थिक असमानताएँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और नागरिक विवेक की परीक्षा ले रही हैं। ऐसे परिवेश में शिक्षा की भूमिका केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वह आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking), मीडिया साक्षरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिक विवेक तथा लोकतांत्रिक सहभागिता को विकसित करने का माध्यम बन जाती है। आज शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो तथ्यों और अफवाहों में अंतर कर सकें, विविध विचारों का सम्मान करें तथा लोकतांत्रिक संवाद को सुदृढ़ बनाएँ।

लोकतंत्र की अवधारणा और उसका सामाजिक आधार

'लोकतंत्र' शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों—'डेमोस' (जनता) और 'क्रेटोस' (शक्ति)—से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 'जनता का शासन'। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई प्रसिद्ध परिभाषा—"जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन"—लोकतंत्र की मूल भावना को व्यक्त करती है। किंतु आधुनिक लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है; यह नागरिक अधिकारों, विधि के शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों तथा सक्रिय नागरिक सहभागिता का समन्वित स्वरूप है।

लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक केवल मतदान करने तक सीमित न रहें, बल्कि सार्वजनिक नीतियों, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। ऐसी नागरिक चेतना का विकास स्वतः नहीं होता; इसके लिए सुनियोजित शिक्षा की आवश्यकता होती है। जॉन ड्यूई ने शिक्षा को लोकतंत्र का जीवन–रक्त माना और कहा कि विद्यालय केवल ज्ञान प्रदान करने का स्थान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समाज का लघु रूप (Miniature Society) है जहाँ विद्यार्थी सहयोग, संवाद, नेतृत्व तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का अभ्यास करते हैं।

भारतीय संदर्भ में भी महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे विचारकों ने शिक्षा को लोकतांत्रिक राष्ट्र–निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम माना। डॉ. अम्बेडकर का प्रसिद्ध संदेश—"शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो"—केवल व्यक्तिगत उन्नति का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण का भी संदेश है। उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कम करने, नागरिक अधिकारों

के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक समानता स्थापित करने का सबसे प्रभावी साधन है।

लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का महत्व

लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और नागरिकों की गुणवत्ता शिक्षा से निर्धारित होती है। शिक्षा व्यक्ति को केवल पढ़ना–लिखना नहीं सिखाती, बल्कि उसे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। एक शिक्षित नागरिक संविधान के मूल सिद्धांतों को समझता है, कानून का सम्मान करता है, सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण में भागीदारी निभाता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायित्व का भाव विकसित करता है।

शिक्षा नागरिकों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करती है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को विभिन्न राजनीतिक विचारों, सामाजिक मुद्दों तथा सार्वजनिक नीतियों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करना होता है। यदि नागरिक बिना तर्क और प्रमाण के निर्णय लेते हैं, तो लोकतंत्र जनमत–प्रभाव, अफवाहों और भावनात्मक ध्रुवीकरण का शिकार हो सकता है। इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए।

लोकतांत्रिक समाज में सहिष्णुता और विविधता का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों तथा जीवन–शैलियों का सम्मान लोकतांत्रिक संस्कृति की पहचान है। शिक्षा विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करती है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि राष्ट्र की शक्ति है। विद्यालयों में सामूहिक गतिविधियाँ, समूह–अधिगम, सहपाठी सहयोग तथा समावेशी शिक्षण–पद्धतियाँ विद्यार्थियों में सहयोग, संवेदनशीलता तथा पारस्परिक सम्मान विकसित करती हैं।

शिक्षा सामाजिक समानता को भी प्रोत्साहित करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वंचित वर्गों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों को सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार शिक्षा लोकतंत्र के मूल सिद्धांतकृसमान अवसरकृको व्यवहार में लागू करती है। जब समाज के सभी वर्ग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तब लोकतंत्र अधिक समावेशी और स्थिर बनता है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा नागरिकों में नैतिक नेतृत्व का विकास करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक नेतृत्व तभी प्रभावी हो सकता है जब नागरिक नैतिकता, ईमानदारी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व को महत्व दें। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मूल्य–आधारित शिक्षा, सामुदायिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) तथा सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यक्रम विद्यार्थियों में सेवा–भाव, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं।

आज के डिजिटल युग में शिक्षा का एक नया आयाम डिजिटल नागरिकता (Digital Citizenship) है। सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के कारण लोकतंत्र के समक्ष मिथ्या सूचना, साइबर अपराध तथा जनमत–प्रभाव जैसी चुनौतियाँ बढ़ी हैं। अतः शिक्षा का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता, मीडिया विश्लेषण क्षमता तथा नैतिक तकनीकी उपयोग की समझ विकसित करे, जिससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जिम्मेदारीपूर्वक भाग ले सकें।

लोकतांत्रिक नागरिकता के निर्माण में शिक्षा की भूमिका

लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक संस्थाओं या चुनावी प्रक्रियाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऐसे नागरिकों पर आधारित होती है जो अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी समान रूप से सजग हों। शिक्षा नागरिकों में लोकतांत्रिक नागरिकता (Democratic Citizenship) का विकास करती है, जिससे वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय, उत्तरदायी तथा नैतिक भागीदारी निभाने में सक्षम बनते हैं। लोकतांत्रिक नागरिकता का अर्थ केवल मतदान करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीतियों को समझना, सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज़ उठाना, विविध मतों का सम्मान करना तथा राष्ट्रीय विकास में सक्रिय सहयोग देना भी है।

विद्यालय लोकतंत्र की प्रथम प्रयोगशाला माने जाते हैं। कक्षा में समूह–अधिगम, वाद–विवाद, परियोजना–आधारित शिक्षण, छात्र संसद, बाल संसद, विद्यालय प्रबंधन समितियों में विद्यार्थियों की सहभागिता तथा सामुदायिक सेवा जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं। जब विद्यार्थियों को अपने विचार अभिव्यक्त करने, दूसरों के मत सुनने तथा सामूहिक निर्णय लेने का अवसर मिलता है, तब उनमें नेतृत्व क्षमता, उत्तरदायित्व, सहिष्णुता तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। यही गुण आगे चलकर एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज की नींव बनते हैं।

भारतीय संविधान और शिक्षा का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण

भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का मार्गदर्शक है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय लोकतंत्र के मूल स्तंभ हैं। शिक्षा इन संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारने का सबसे प्रभावी माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 21(क) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो लोकतांत्रिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसी प्रकार संविधान के मूल कर्तव्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार की भावना तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जैसे मूल्यों पर बल दिया गया है। शिक्षा इन मूल कर्तव्यों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करती है। विद्यालयों में संविधान दिवस, मतदाता जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम तथा सामाजिक सेवा गतिविधियाँ विद्यार्थियों को उत्तरदायी नागरिक बनने की प्रेरणा देती हैं।

भारतीय लोकतंत्र की एक विशिष्ट विशेषता उसकी सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक विविधता है। शिक्षा इस विविधता को सम्मान देने तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का कार्य करती है। जब विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों, परम्पराओं और विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, तब उनमें समावेशिता (Inclusiveness) तथा सह–अस्तित्व की भावना विकसित होती है। यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तनकारी दस्तावेज़ है, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि उत्तरदायी, संवेदनशील, नैतिक एवं लोकतांत्रिक नागरिकों का निर्माण करना है। नीति स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो संवैधानिक मूल्यों, मानवीय गरिमा, समानता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बहुलतावाद तथा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध हों।

NEP 2020 में अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning), आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking), समस्या–समाधान कौशल, रचनात्मकता, सहयोगात्मक अधिगम तथा बहुविषयक शिक्षा (Multidisciplinary Education) पर विशेष बल दिया गया है। ये सभी तत्व लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक नागरिक

दक्षताओं का निर्माण करते हैं। जब विद्यार्थी केवल तथ्यों को याद करने के बजाय उनका विश्लेषण करना सीखते हैं, तब वे लोकतांत्रिक निर्णय–प्रक्रिया में अधिक प्रभावी योगदान दे सकते हैं।

नीति विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, करुणा, सहिष्णुता, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तथा वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करने पर विशेष बल देती है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था न मानकर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन–पद्धति के रूप में स्थापित करता है। NEP 2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा, स्थानीय भाषाओं, सांस्कृतिक विरासत तथा वैश्विक दृष्टिकोण के संतुलित समन्वय पर बल दिया गया है, जिससे युवा अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आत्मसात कर सकें।

युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में NEP 2020 का योगदान

भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। इसलिए लोकतंत्र का भविष्य युवाओं के विचारों, मूल्यों और नागरिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। NEP 2020 युवाओं को केवल रोजगारोन्मुख बनाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन का सक्रिय भागीदार बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है।

नीति के अनुसार विद्यार्थियों में निम्न लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक है—

- संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान।
- विविधता में एकता की भावना।
- लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तार्किक चिंतन।
- नैतिक नेतृत्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व।
- पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता।
- राष्ट्रीय एकता एवं वैश्विक नागरिकता का संतुलित विकास।

NEP 2020 परियोजना–आधारित अधिगम, सामुदायिक सहभागिता, कला–समेकित शिक्षा, खेल–आधारित शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयी अनुभव का अभिन्न अंग बनाती है। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों में सहयोग, नेतृत्व, समस्या–समाधान तथा लोकतांत्रिक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय परिसरों में सुरक्षित, समावेशी एवं भेदभाव–मुक्त वातावरण बनाने पर बल दिया गया है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी समान अवसर प्राप्त कर सके।

डिजिटल युग, शिक्षा और लोकतंत्र

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने लोकतंत्र के स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। एक ओर सूचना तक त्वरित पहुँच, ई–गवर्नेंस, डिजिटल भागीदारी तथा ऑनलाइन नागरिक सेवाओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाया है, वहीं दूसरी ओर मिथ्या सूचना (Misinformation), दुष्प्रचार (Disinformation), साइबर अपराध, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं।

इस संदर्भ में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता, मीडिया साक्षरता, तथ्य–जाँच (Fact&checking), उत्तरदायी सोशल मीडिया उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग की शिक्षा प्रदान करना समय की आवश्यकता है। यदि युवा विश्वसनीय स्रोतों की पहचान करना, प्रमाण–आधारित निर्णय लेना तथा डिजिटल मंचों पर जिम्मेदारीपूर्वक संवाद करना सीखते हैं, तो लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बन सकता है।

लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक की भूमिका

शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति का संवाहक होता है। शिक्षक का व्यवहार, निष्पक्षता, संवाद की शैली तथा विद्यार्थियों के प्रति समान दृष्टिकोण लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। यदि कक्षा का वातावरण खुला, सहभागितापूर्ण एवं सम्मानपूर्ण हो, तो विद्यार्थी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, सहिष्णुता तथा सहयोग जैसे गुण सहज रूप से सीखते हैं।

21वीं सदी के शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों को संविधान, मानवाधिकार, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, डिजिटल नागरिकता तथा नैतिक नेतृत्व के प्रति भी जागरूक बनाए। इस प्रकार शिक्षक लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है और शिक्षा को राष्ट्र–निर्माण का प्रभावी साधन बनाता है।

समकालीन भारतीय परिप्रेक्ष्य : लोकतंत्र और शिक्षा का बदलता स्वरूप

इक्कीसवीं सदी का भारत तीव्र सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में लगभग 96.8 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता प्राप्त की, जो विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सबसे बड़ी मतदाता संख्या है। इस चुनाव में करोड़ों युवा मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया, जिसने यह स्पष्ट किया कि भारत का लोकतांत्रिक भविष्य युवाओं की राजनीतिक जागरूकता, संवैधानिक समझ तथा नागरिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित मतदाता साक्षरता अभियानों तथा नागरिक शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों ने युवाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। यह स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा केवल परीक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता की संस्कृति विकसित करने का प्रभावी माध्यम भी है।

वर्तमान समय में लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं रह गया है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे नीति निर्माण, सामाजिक विमर्श, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल मंचों पर उत्तरदायी सहभागिता तथा स्थानीय शासन में सक्रिय योगदान दें। इस प्रकार शिक्षा लोकतंत्र को निरंतर सुदृढ़ करने वाली सामाजिक शक्ति के रूप में उभरती है।

नीति आयोग की अनुशंसाएँ और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण

नीति आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों तथा Strategy for New India @75, School Education Quality Index (SEQI) तथा India Innovation Index जैसे दस्तावेज़ों में स्पष्ट किया है कि गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं समान अवसर आधारित शिक्षा भारत के सतत एवं लोकतांत्रिक विकास की आधारशिला है। आयोग ने विद्यालयी शिक्षा में सीखने के परिणामों (Learning Outcomes), समावेशी शिक्षा, डिजिटल अधिगम, शिक्षक क्षमता विकास, कौशल शिक्षा तथा नवाचार पर विशेष बल दिया है।

नीति आयोग का यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें शिक्षा को सामाजिक न्याय, समान अवसर, लैंगिक समानता, तकनीकी दक्षता तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से जोड़ा गया है। आयोग ने यह भी रेखांकित किया है कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में समस्या–समाधान क्षमता, नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नैतिक नेतृत्व का विकास करे। ये सभी गुण एक उत्तरदायी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं।

लोकतंत्र के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ और शिक्षा की भूमिका

यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है, तथापि इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। इनमें डिजिटल माध्यमों पर मिथ्या सूचना का प्रसार, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक असहिष्णुता, साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनैतिक उपयोग, आर्थिक एवं शैक्षिक असमानताएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुँच तथा नागरिक उत्तरदायित्व में कमी प्रमुख हैं।

इन चुनौतियों का समाधान केवल विधिक उपायों से संभव नहीं है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो नागरिकों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने, तथ्य और भ्रम में अंतर करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता विकसित करती है। विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता आज लोकतांत्रिक शिक्षा के अनिवार्य घटक बन चुके हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक समावेशन भी लोकतंत्र की सफलता का आधार है। यदि समाज का कोई वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो लोकतंत्र में समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित होता है। इसलिए शिक्षा का लोकतंत्रीकरण, गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार तथा तकनीकी संसाधनों की समान उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है।

सशक्त लोकतंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव

सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण एवं संरक्षण के लिए शिक्षा व्यवस्था में निम्नलिखित सुधारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए—

प्रथम, विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा स्तर पर संविधान, नागरिक शास्त्र, मानवाधिकार, चुनावी प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं से संबंधित व्यावहारिक शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जाए।

द्वितीय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनुभवात्मक अधिगम, परियोजना–आधारित शिक्षण, सामुदायिक सेवा तथा सेवा–अधिगम (Service Learning) को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए।

तृतीय, विद्यार्थियों में मीडिया साक्षरता, डिजिटल नागरिकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग तथा तथ्य–जाँच की क्षमता विकसित करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाएँ।

चतुर्थ, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में लोकतांत्रिक नेतृत्व, समावेशी शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों तथा मूल्य–आधारित शिक्षण को अधिक महत्त्व दिया जाए।

पंचम, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र संसद, युवा संसद, मॉक पार्लियामेंट, वाद–विवाद, मॉडल यूनाइटेड नेशंस तथा सामुदायिक परियोजनाओं को नियमित रूप से आयोजित किया जाए ताकि विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो।

षष्ठ, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए युवाओं में सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नवोन्मेषी सोच का विकास किया जाए।

सप्तम, शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर, लैंगिक न्याय, सामाजिक समावेशन तथा बहुभाषिकता को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि लोकतंत्र की वास्तविक भावना समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँच सके।

निष्कर्ष

लोकतंत्र केवल संविधान अथवा चुनावों के माध्यम से जीवित नहीं रहता; वह नागरिकों की चेतना, नैतिकता, सहभागिता तथा उत्तरदायित्व के माध्यम से निरंतर विकसित होता है। शिक्षा इस चेतना के निर्माण का सबसे प्रभावी साधन है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था नागरिकों में स्वतंत्र चिंतन, संवैधानिक मूल्यों के प्रति आस्था, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का विकास करती है। यही गुण किसी भी लोकतंत्र को स्थिर, समावेशी तथा सशक्त बनाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को केवल ज्ञान–केंद्रित प्रणाली से आगे बढ़ाकर मूल्य–आधारित, समावेशी, बहुविषयक तथा कौशल–समृद्ध शिक्षा की दिशा प्रदान की है। नीति का प्रमुख उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक आदर्शों तथा वैश्विक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध हों। यदि इस नीति का प्रभावी एवं समग्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो यह भारत को न केवल ज्ञान–आधारित समाज, बल्कि अधिक उत्तरदायी, समतामूलक एवं सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, जहाँ लोकतंत्र अनेक प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहाँ शिक्षा ही वह स्थायी शक्ति है जो लोकतंत्र को केवल संरक्षित नहीं करती, बल्कि उसे निरंतर परिष्कृत, समावेशी और जनोन्मुख बनाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा और लोकतंत्र एक–दूसरे के पूरक हैं; शिक्षा के बिना लोकतंत्र अधूरा है और लोकतंत्र के बिना शिक्षा अपने व्यापक सामाजिक उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकती।

संदर्भ सूची

1. Ambedkar BR. What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables. Bombay: Thacker & Co.; 1945.
2. Dewey J. Democracy and Education. New York: Macmillan; 1916.
3. Election Commission of India. General Elections to Lok Sabha 2024: Statistical Data and Voter Participation. New Delhi: Election Commission of India; 2024.
4. Government of India. The Constitution of India. New Delhi: Ministry of Law and Justice; 1950.
5. Ministry of Education. National Education Policy 2020. New Delhi: Government of India; 2020.
6. NITI Aayog. Strategy for New India @75. New Delhi: Government of India; 2018.
7. NITI Aayog. School Education Quality Index (SEQI). New Delhi: Government of India; 2019.
8. NITI Aayog. India Innovation Index 2021. New Delhi: Government of India; 2021.
9. Organisation for Economic Co-operation and Development. Preparing Our Youth for an Inclusive and Sustainable World: The OECD PISA Global Competence Framework. Paris: OECD; 2018.
10. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. Paris: UNESCO; 2021.
11. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?. Paris: UNESCO; 2023.
12. United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations; 2015.
13. World Bank. World Development Report 2024: The Middle-Income Trap. Washington (DC): World Bank; 2024.